रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 जून, 1988/28 ज्येष्ठ, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अप्रल, 1988

संख्या पब०(डी) (ए) 3-1/79-भाग-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश सरकार के राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त, 1986 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब०(डी) (ए) 3-1/79, दिनांक 7 मई, 1986 के अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश में संवाददाताओं को प्रत्यायन और मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश संवाददाता प्रत्यायन और मान्यता नियम 1988 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम उन संवाददाताओं पर लागू होंगे जो नए प्रत्यायन/मान्यता के लिए आवेदन करेंगे। उन संवाददाताओं के बारे में वही स्थिति मान्य रहेगी जो इन नियमों के लागू होने से पहले थी बशर्तेकि सम्बन्धित समाचार पत्रों के लिए उनका कार्य करना जारी हो।

947-राजपत्र/88-18-6-88—1,272. (1109) मूल्य : 20 पैसे।

2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "सरकार" हिमाचल प्रदेश सरकार से अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशक" सरकार द्वारा नियुक्त लोक सम्पर्क निदेशक से अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रैस प्रत्यायन समिति" इन नियमों के अधीन गठित समिति से अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रत्यापित संवाददाता" उस संवाददाता से अभिप्रेत है जिसको इन नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्रदान की गई हो ;

(ङ) "मान्यता प्राप्त संवाददाता" उस संवाद्दाता से अभिप्रेत है जिसे इन नियमों में विहित प्रक्रिया अनुसार मान्यता प्रदान की गई हो;

(च) "संवाददाता" श्रमजीवी पत्रकार (सेवा, शर्तें और उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में परिभाषित किसी समाचार पत्र/समाचार अभिकरण के प्रतिनिधि संवाद्दाता तथा समाचार पत्र/समाचार अभिकरण द्वारा, राज्य स्तर या जिला स्तर पर पूर्णकालिक या अंशकालिक संवाद्दाता के रूप में नियुक्त संवाददाता से अभिप्रेत है ;

(छ) "सम्पादक" उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसे समाचार पत्र और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन सम्पादक घोषित किया गया हो ;

(ज) "समाचार पत्र" दैनिक समाचार पत्र या ऐसी पत्रिका से अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणी हो ;

(झ) "समाचार अभिकरण" अखिल भारतीय स्तर पर समाचारों को एकत्रित और उनका प्रसारण करने वाले तार अभिकरण से अभिप्रेत है जिसकी अपनी तार संचार व्यवस्था का जाल बिछा हो, किन्तु हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय में स्थापित समाचार अभिकरणों पर, इस प्रकार के तार संचार व्यवस्था के जाल की शर्त लागू नहीं होगी।

(ञ) "सरकारी राजपत्र" हिमाचल प्रदेश राजपत्र से अभिप्रेत है।

3. दो प्रकार के कार्ड होंगे, एक प्रत्यायन और दूसरा मान्यता को घोषित करने वाला। प्रत्यायन/मान्यता कार्ड केवल उनको ही दिए जाएंगे जो नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

4. सरकार एक प्रैस प्रत्यायन समिति का गठन करेगी जिसको संवाद्दाताओं के प्रत्यायन/मान्यता से सम्बन्धित सभी मामले भेजे जाएंगे और समिति का निर्णय अन्तिम होगा। इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी।

5. प्रत्यायन.—राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर प्रत्यायन संवाद्दाता द्वारा उस समाचार पत्र या समाचार अभिकरण, जिसमें वह नियोजित है, के सम्पादक के माध्यम से निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश के नाम आवेदन करना होगा और सम्पादक की सिफारिश पर सम्बन्धित जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से वह आवेदन-पत्र निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश को भेजा जाएगा। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी आवेदन-पत्र को अग्रेषित करते समय प्रमाणित करेगा कि आवेदक को अपने व्यवसाय में कार्य करते हुए, किसी नैतिक अक्षमता या अपराधिक उत्पादन के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है किन्तु जिला लोक सम्पर्क अधिकारी किन्हीं भी परिस्थितियों में आवेदन-पत्र को विधारित नहीं करेगा। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी संवाद्दाता को प्रत्यायन प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र का पूरी तरह परीक्षण करने के उपरान्त उसे निदेशक लोक सम्पर्क को भेजेगा, जो निपटान के लिए उस प्रैस प्रत्यायन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

6. प्रत्यायन के लिए समाचार पत्र या समाचार अभिकरण के संवाद्दाता द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी :—

(क) उसका निवास स्थान राज्य मुख्यालय या उस जिला मुख्यालय में होना चाहिए।

(ख) वह एक श्रमजीवी पत्रकार हो, जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें और अन्य उपबन्ध) अधिनियम, 1955 में परिभाषित है और वह एक पूर्ण कालिक संवाददाता हो जैसा कि उन नियमों में राज्य मुख्यालय पर प्रत्यायन के सम्बन्ध में परिभाषित है या जिला मुख्यालय पर पूर्ण कालिक/अंशकालिक संवाददाता हो ।

(ग) समाचार-पत्र/समाचार अभिकरण का संवाददाता ऐसा होना चाहिए जो अपने समाचार-पत्र या समाचार अभिकरण वर्ग में, संवाददाताओं के लिए वेतन बोर्ड की सिफारिशों और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तत्सम्बन्धी अधिसूचना के अनुसार विहित वेतन ले रहा हो ।

(घ) आवेदन के समय संवाददाता का पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार अनुभव हो जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अपने कार्य को सक्षमता और जिम्मेदारी से सफलतापूर्वक निभाने हेतु वह एक प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति हो ।

7. समाचार अभिकरणों के लिए.—समाचार अभिकरणों के संवाददाताओं को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए जिन मद्दों पर विचार किया जाएगा वे निम्नलिखित होंगी :—

(क) समाचार अभिकरण का स्वरूप, अवस्थिति और उनकी श्रेणी;

(ख) वितरण पद्धति ;

(ग) केन्द्र, जहां इन अधिकरणों द्वारा समाचार-पत्र वितरित किए जाएंगे ।

प्रत्यायन सामान्यतः उन्हीं समाचार और रुपक (फीचर) अभिकरणों के संवाददाताओं को प्रदान किया जाएगा जो कम से कम दो वर्ष से इस क्षेत्र में कार्यरत हों ।

8. (1) समाचार-पत्रों की स्थिति में किसी प्रसिद्ध समाचार-पत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संवाददाता के प्रत्यायन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मद्दों पर विचार किया जाएगा :—

(क) दैनिक समाचार-पत्र के लिए :

(i) संबन्धित समाचार-पत्र एक दूसरे अंक के प्रकाशन के बीच किसी व्यावधान के बिना, प्रतिदिन प्रकाशित किया जाएगा ;

(ii) समाचार-पत्र की कम से कम 5,000 प्रतियां परिचालन में होनी चाहिए जैसा कि पंजीयक समाचार-पत्र, भारत वर्ष द्वारा प्रमाणित किया गया है और इसका प्रकाशन, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, जालन्धर के किसी स्थान से अथवा नई दिल्ली से हो ;

(iii) लघु समाचार-पत्रों की दशा में उनके संयुक्त परिचालन पर विचार किया जा सकता है यदि वे संयुक्त संवाददाता के रूप में प्रत्यायन हेतु प्रार्थना करते हैं या संवाददाता स्वयं उनकी ओर से संयुक्त प्रत्यायन मांगता है ।

(ख) साप्ताहिक और अन्य आवधिक पत्रिकाओं के लिए :

हिमाचल प्रदेश से कोई भी प्रतिष्ठित समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, इसलिए साप्ताहिक/पाक्षिक पत्रिकाओं के प्रत्यायन के लिए निम्न प्रकार से विचार किया जाएगा :—

(i) साप्ताहिक/पाक्षिक पत्रिका के पहले और दूसरे अंक के प्रकाशन के बीच किसी व्यावधान के बिना, उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए, और

(ii) पत्रिका का परिचालन 1,000 प्रतियों से कम नहीं होना चाहिए और कम से कम आधा परिचालन हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए ।

(2) साप्ताहिक/पाक्षिक पत्रिकाओं के क्षेत्र में राज्य के केवल एक व्यक्ति को ही प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा जो सम्बन्धित समाचार-पत्र का सम्पादक या संवाददाता हो।

(3) साप्ताहिक/पाक्षिक/पत्रिकाओं के समस्त सम्पादक जिन्हें इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व राज्य/जिला स्तर पर प्रत्यायन प्रदान किया गया हो, उनका वह प्रत्यायन तब तक मान्य होगा जब तक वे पत्रिका के सम्पादक के रूप में कार्य करते रहेंगे तथापि प्रत्यायन व्यक्तिगत होगा और ज्यूं ही वे सम्पादक के रूप में कार्य करना बन्द कर देते हैं, प्रत्यायन समाप्त हो जाएगा।

9. आकाशवाणी के लिए.—आकाशवाणी के प्रतिनिधि, जिनकी नियुक्ति पूर्ण कालिक या अंशकालिक संवाददाता समाचार अनुभाग के रूप में की गई हो उन्हें निदेशक (समाचार सेवाएं) आकाशवाणी, नई दिल्ली की सिफारिश पर, राज्य या जिला स्तर पर प्रत्यायन प्रदान करने के लिए विचारित किया जाएगा।

10. प्रैस फोटोग्राफरों/दूरदर्शन कैमरामैनों के लिए.—फोटो दूरदर्शन समाचारों और फीचर अभिकरणों की स्थिति में, हिमाचल प्रदेश में घटित घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए जालन्धर तथा दिल्ली दूरदर्शन केन्द्रों के सम्पादकों या निदेशकों की सिफारिश पर दैनिक समाचार-पत्र द्वारा पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप में नियुक्त प्राधिकृत कैमरामैनों को केवल राज्य स्तर पर ही प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि ये कैमरामैन दूरदर्शन केन्द्रों को नियमित रूप से सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हों। इस प्रकार से नियुक्त केवल एक ही व्यक्ति को जालन्धर/दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के लिए सम्बन्धित केन्द्र निदेशक की सिफारिश पर राज्य स्तरीय प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा।

11. मान्यता.—राज्य मुख्यालय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए संवाददाता उस समाचार-पत्र या समाचार अभिकरण के सम्पादक के माध्यम से, जिसमें वह नियोजित है, निदेशक, लोक सम्पर्क हिमाचल प्रदेश को आवेदन करेगा जिला स्तर पर मान्यता हेतु प्रार्थनापत्र सम्पादक की सिफारिश पर सम्बन्धित जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश को भेजा जाएगा। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी मान्यता के लिए आवेदन-पत्र को अग्रेषित करते समय यह प्रमाणित करेगा कि संवाददाता को नैतिक अधमता या अपराधिक उदापन के किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है तथापि जिला लोक सम्पर्क अधिकारी किसी भी स्थिति में, मान्यता के लिए आवेदन-पत्र को विधारित नहीं करेगा। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, मान्यता के लिए आवेदन को पूरी तरह से परीक्षण करने के पश्चात, उसे निदेशक, लोक सम्पर्क को भेज देगा जो निपटानार्थ उसे प्रैस प्रत्यायिन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

12. मान्यता प्राप्त करने के लिए संवाददाता को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(क) उसका निवास स्थान उस राज्य या जिला मुख्यालय में होना चाहिए, जिसके लिए उसे मान्यता चाहिए।

(ख) वह एक या एक से अधिक समाचार-पत्रों या अभिकरण/अभिकरणों में अंशकालिक संवाददाता के रूप में कार्यरत हो और वेतन बोर्ड विनियमों के अधीन रिटेनर फीस प्राप्त कर रहा हो।

(ग) आवेदन करते समय उसे पत्रकारिता व्यवसाय में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो।

(घ) वह 5,000 प्रतियों के न्यूनतम परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्र और अन्य पत्रिकाओं की दशा में 1000 प्रतियों के न्यूनतम परिचालन वाली पत्रिका का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। दैनिक समाचार-पत्रों का परिचालन भारत के समाचार-पत्र पंजीयक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और अन्य पत्रिकाओं का परिचालन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

13. मान्यता प्राप्त संवाददाता आमंत्रित किए जाने पर और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने और समारोहों में भाग लेने के अतिरिक्त किन्हीं अन्य सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। वे प्रत्यायित संवाददाताओं को सामान्य रूप से प्रदान की गई सुविधाओं में से किसी सुविधा के हकादर नहीं होंगे।

14. प्रत्यायन/मान्यता का वापस लिया जाना.—(1) संवाददाता का प्रत्यायन/मान्यता वापस ली जाएगी, यदि वह,—

(क) प्रैस और पंजीकरण अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है,

(ख) उसे प्रदान की गई सूचना एवं सुविधाओं का प्रयोग गैर-पत्रिकारिता प्रायोजनों के लिए करता है ;

(ग) संवाददाता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अशोभनीय और अनुचित व्यवहार करता है ;

(घ) पत्रकारिता के अलावा किसी अन्य कार्य जैसे जिस समाचार-पत्र के लिए वह कार्य कर रहा है उसके लिए या किसी अन्य समाचार-पत्र या पत्रिका के व्यापार या उनके प्रकाशन के लिए विज्ञापन आदि कार्य में समय लगाता है; और

(ङ) ऐसे समाचारों का प्रकाशन करवाता है, जो गलत या विशेषकर सरकार से सम्बन्धित हो, झूठे हों।

(2) इस नियम के अधीन कार्रवाई, निदेशक, लोक सम्पर्क द्वारा आरम्भ की जाएगी और कारण बताओ नोटिस के रूप में मामले को रिपोर्ट समाचार-पत्र के सम्पादक या समाचार अभिकरण, प्रसारण और संचारण के सम्पादक या प्रबन्धक को की जाएगी और उसके पश्चात् सम्बन्धित पत्रकार को राज्य स्तर पर प्रत्यायन समिति द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) वे सभी मामले जिन पर निदेशक और प्रत्यायन समिति में मतभेद हों, समिति द्वारा दिए गए परामर्श तथा निदेशक के विचारों सहित अन्तिम विनिश्चय के लिए सरकार को भेजे जाएंगे। सम्पादकों/संवाददाताओं को प्रदान प्रत्यायन/मान्यता आपात स्थिति में अस्थाई रूप से, वापस लेने के निदेशक, लोक सम्पर्क सशक्त होगा।

15. जब प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त संवाददाता उस समाचार अभिकरण या समाचार-पत्र का प्रतिनिधित्व करना बंद करता है, जिसके लिए उसे प्रत्यायन/मान्यता प्रदान की गई है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित संवाददाता तथा सम्पादक/प्रबन्धक द्वारा 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में निदेशक के ध्यान में लायी जाएगी। निदेशक, लोक सम्पर्क, यदि उसे इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होती है, स्वयं भी प्रत्यायन/मान्यता वापस लेने हेतु स्वतन्त्र है।

16. प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त संवाददाता मुख्यालय से लगातार तीन मास अनुपस्थित रहता है और वह ऐसी अनुपस्थिति की लिखित सूचना अपने सम्पादक या प्रबन्धक के माध्यम से अग्रिम रूप में नहीं देता तो वह अपने प्रत्यायन/मान्यता से वंचित हो जाएगा। सम्बन्धित सम्पादक या प्रबन्धक के लिखित आवेदन पर इस अवधि में तीन मास के लिए और विस्तार किया जा सकेगा। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी किसी भी संवाददाता की अनुपस्थिति की रिपोर्ट निदेशक, लोक सम्पर्क को करेगा जो इस पर संवाददाताओं के प्रत्यायन/मान्यता वापस लेने हेतु कार्रवाई शुरू करेगा।

17. प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त संवाददाता की सूची का आवधिक पुनरावलोकन.—प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की सूची का अधिमानतः वर्ष में एक बार आवधिक पुनरावलोकन किया जाएगा।

18. प्रत्यायन/मान्यता व्यक्तिगत होगी और इसे अन्तरित नहीं किया जा सकेगा। इससे किसी संवाददाता को कोई सरकारी पदवी प्रदान नहीं होगी। सरकार इसलिए मान्यता प्रदान करती है कि प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त संवाददाता उस समाचार-पत्र या नए अभिकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसे नियोजित करती है। संवाददाता "हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त" शब्दों वाले शीर्षना (लैटर हैड) में और परिचय कार्डों का प्रयोग नहीं करेगा।

19. प्रत्येक प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त संवाददाता को प्रैस प्रत्यायन/मान्यता कार्ड जारी किया जाएगा। विशेष समारोहों में प्रवेश आमन्त्रण-पत्र द्वारा विनियमित होगा। कार्ड पर फोटोग्राफ, राज्यस्तर पर निदेशक, लोक सम्पर्क द्वारा और जिला मुख्यालय स्तर पर जिला लोक सम्पर्क अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित किया जाएगा। कार्ड, निदेशक, लोक सम्पर्क के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।

20. अस्थाई प्रत्यायन/मान्यता प्रदान करना.—यदि संवाददाता/सम्पादक प्रत्यायन या मान्यता प्रदान किए जाने के लिए इन नियमों में दी गई सभी शर्तों को पूरा कर लेता है तो निदेशक, लोक सम्पर्क उसे प्रैस प्रत्यायन समिति की बैठक होने तक यथास्थिति अस्थाई प्रत्यायन /मान्यता प्रदान कर सकता है।

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th April, 1988

No. PUB.(D)(A)3-1/79-Vol.-I.—In supersession of this department Notification No. Pub.(D)(A) 3-1/79, dated the 7th May, 1986 published in the Himachal Pradesh Rajpatra, dated 16th August, 1986, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for the accreditation of Press Correspondents in Himachal Pradesh:—

1. (1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Press Correspondents Accreditation and Recognition Rules, 1988.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules will be applicable to those who apply for accreditation/recognition afresh. *Status quo* will be maintained in respect of those who are already accredited/recognized prior to enforcement of these rules, subject to the condition that they are still working for their respective newspapers.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(*b*) "Director" means the Director of Public Rleations appointed as such by the Government;
(*c*) "Press Accreditation Committee" means the Committee set up by the Government under these rules;
(*d*) "Accredited Correspondent" means a correspondent who has been granted recognition in accordance with the procedure prescribed by these rules;
(*e*) "Recognised Correspondent" means a correspondent who has been granted recognition in accordance with the procedure prescribed by these rules;
(*f*) "Press Correspondent" means a correspondent representing any newspaper/news agency as defined in the Working Journalists (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955 and employed as a whole-time correspondent by a newspaper/news agency at the State level or as a whole-time/part-time correspondent at the District level;
(*g*) "Editor" means the person who is declared as the Editor under the Press and Registration of Books Act, 1867;
(*h*) "newspaper" includes a Daily Newspaper or a magazine containing public news and comments on public news;
(*i*) "News agency" means a wire agency for collection and dissemination of news on all India basis having their own wire net work, but the condition of such ne work will not apply to a news agency operating from the State Headquarter of Himachal Pradesh;
(*j*) "Official Gazette" means, Rajpatra, Himachal Pradesh;

3. There will be two types of cards, one denoting accreditation and other recognition. The accreditation/recognition cards will be given to only those who fulfil the conditions laid down in the rule.

4. The Government will consititute a Press Accreditation Committee to which all matters relating to the accreditation/recognition of Press Correspondents shall be referred and its decisions will be final this Committee shall meet once in a year.

5. **Accreditation.**—An application shall be made by a correspondent through the Editor of the newspaper or news agency, in which he is employed, to the Director of Public Relations, Himachal Pradesh, for accreditation at the State level and in regard to the accreditation at District level, the application shall be made on the recommendation of the Editor through the District Public Relations Officer of the District concerned to the Director of Public Relations, Himachal Pradesh. The District Public Relations Officer will, while forwarding the application, certify that the applicant has not been convicted in a Court of Law of any offence involving moral turpitude or criminal extortion in the course of acting in his profession, provided that in no circumstances shall the District Public Relations Officer withhold an application. The District Public Relations Officer shall forward the application of a correspondent for grant of accreditation after a thorough examination to the Director of Public Relations, who, in turn shall place the same before the Press Accreditation Committee for disposal.

6. The correspondent of a newspaper or news agency should fulfil the following conditions for accreditation:—

(*a*) His residence should be at the headquarters of the State or in the District for which he is to be accredited.

(*b*) He should be a working journalist as defined by the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous a correspondent as defined in these rules in respect of accreditation at the State headquarter or be a whole-time/part-time correspondent at the District headquarters.

(*c*) The correspondent of a newspaper or news agency should be drawing the prescribed wages in the category of his newspaper or news agency as per the Wage Board recommendations for Working Journalists and the relevant notification of the Ministry of Labour, Government of India.

(*d*) At the time of application, he/she should have spent not less than three consecutive years in the profession of Journalism and should be a person of sufficient experience and standing to be able to discharge his/her duties in a competent and responsible manner.

7. **For News Agencies.**—The factors to be taken with consideration for granting accreditation to the correspondents of News Agencies will be as under:—

(*a*) nature, standing and type of the news agency;

(*b*) method of distribution of its services; and

(*c*) centres of newspaper served by these agencies.

Accreditation shall normally be restricted to the correspondents of news and features agencies of at least two years' standing.

8. (1) In the case of newspapers, the following factors should be taken into consideration to determine the accreditation of a correspondent representing a particular newspaper:—

(*a*) *For Daily News Paper*:

(*i*) the newspaper concerned shall be published daily and without any break between one publication and another;

(*ii*) its circulation should not be less than 5,000 copies as certified by the Registrar of Newspapers of India; and should be published from anywhere in Himachal Pradesh, Chandigarh, Jalandhar or New Delhi.

(*iii*) in the case of small newspaper, their combined circulation may be taken into consideration if they request accreditation for a common correspondent or a correspondent himself seeks accreditation jointly on their behalf.

(*b*) *For weeklies and other periodicals:*

As no daily newspaper of standing is being published from within Himachal Pradesh, the weeklies/fortnightlies will be considered for accreditation as under:—

(*i*) the weekly/fortnightly should be published without any break between one publication and another; and

(*ii*) its circulation should not be less than 1,000 copies and at least half of the circulation should be in Himachal Pradesh.

2. In the case of Weeklies/Fortnightlies, accreditation will be given to only one person of the State, who may be the editor of the paper concerned or its correspondent.

(3) All these editors of Weeklies/Fortnightlies, who have been given State level/District level accreditation prior to the enforcement of these rules, will hold these till they continue to be the editors of such weeklies. The accreditation will however be personal and shall leave as soon they discontinue to be editors.

9. For All India Radio.—The repesentatives of the All India Radio having appointment of Correspondents (news section) whole-time or part-time will also be considered for State or District level accreditation, on the recommendation of Director (News Services, All India Radio, New Delhi.

10. For Press/Photographers/T.V. Cameramen.—In case of photo, T.V. news and feature agencies only State level accreditation will be given to cameramen appointed as authorised cameramen whole-time/part-time by the daily newspaper on the recommendations of Editors or Directors of Television Centres of Jalandhar and Delhi to cover the events within Himachal Pradesh in case these appointees provide regular service to these television centres. Only one such appointee will be given State level accreditation to Jalandhar/Delhi Doordarshan Kendras on the recommendation of the concerned Station Director.

11. Recognition.—Application for grant of recognition for the State Headquarters shall be made by a correspondent through the Editor of the newspaper or news agency in which he is employed, to the Director of Public Relations, Himachal Pradesh. In regard to the recognition at District level the application for recognition shall be made on the recommendation of the Editor through the District Public Relations Officer of the district concerned to the Director of Public Relations, Himachal Pradesh. The District Public Relations Officer while forwarding the application for recognition, shall certify that the correspondent has not been convicted of any offence inolving moral turpitude or criminal extortion. However, in no case shall the District Public Relations Officer withhold an application for recognition. The District Public Relations Officer shall forward the application of a correspondent for grant of recognition after through examination to the Director of Public Relations, who, in turn, shall place the same before the Press Accreditation Committee for disposal.

12. A correspondent shall fulfil the following conditions for getting recognition:—

(*a*) His residence should be at the headquarters of State or in the District for which he seeks recognition.

(*b*) He should be a part-time press correspondent working with one or more newspapers or agency/agencies and be in receipt of retainer under the Wage Board Regulations.

(*c*) At the time of application, he should have had sufficient experience in the profession of journalism.

(*d*) He should represent a daily with a minimum circulation of 5,000 copies and of 1,000 copies in case of other periodicals. The circulation in case of dailies should be certified by the Registrar of Newspapers of India and in case of other periodicals by the District Magistrate.

13. Recognised correspondents shall not be entitled to any other facilities apart from entry into the offices of the Government and Semi-Government organisations and entry to functions by invitations. They shall not be entitled to any of the facilities normally accorded to accredited correspondents.

14. **Disaccreditation/Derecognition.**—(1) A correspondent will be liable to disaccreditation/ derecognition if,—

(*a*) he commits any offence under the Press and Registration Act;

(*b*) he uses information and facilities accorded to him for non-journalistic purposes;

(*c*) in the course of his duties, as correspondent, he behaves in an undignified or unprofessional manner;

(*d*) he engages himself in work other than journalism, such as soliciting business or advertisements for publication for which he works or for any other newspaper or periodical; and

(*e*) he causes wilful publication of news that is incorrect or false, in so far as Government is concerned.

(2) Action under this rule will be initiated by the Director of Public Relations and the matter will be reported to the Editor of the newspaper or the editor or manager of news agency, broadcasting and telecasting concern as a show cause notice after which the party concerned will be afforded a reasonable opportunity to be heard by the State Level Accreditation Committee.

(3) In all cases where there is difference of opinon between the Director and the Accreditation Committee, these shall be referred to Government for final decision, indicating the views of the Director along with the advice tendered by the Committee. The Director of Public Relations will however be empowered to withdraw accreditation/recognition given to editors/correspondents temporarily in case of emergency.

15. When an accredited/recognised correspondent ceases to represent a news agency or newspaper on behalf of which he/she is accredited/recognised, the fact shall be brought to the notice of the Director in writing by the correspondent as well as by the Editor/Manager concerned within 15 days. The Director of Public Relations may also withdraw the accreditation/recognition *suo moto*, if he receives information to the same effect.

16. An accredited/recognised correspondent who is continuously absent for three months from the headquarters shall forfeit his/her accreditation/recognition unless he/she has intimated, in writing, in advance, through his/her editor or manager of such absence. This period may be extended by three months more on a written request from the editor or the manager concerned. The District Public Relations Officers will report the absence of any correspondent to the Director of Public Relations, who, in turn, will take action to withdraw the accreditation/recognition of the correspodents.

17. **Periodical review of accredited/recognised correspondents lists.**—The list accredited/ recognised correspondents will be reviewed periodically, preferably once in a year.

18. Accreditation/recognition will be personal and non-transferable. It does not confer any official status on the correspondent. Government merely recognised that the accredited/recognised correspondent represents the newspaper or news agency which employs him. Correspondents should not have letter heads and visiting cards with the words "Accredited/Recognised by the Government of Himachal Pradesh.".

19. Press accreditation/recognition card will be issued to each accredited/recognised correspondent. The admission to special functions will be governed by invitation. The photograph on the card will be duly attested by the Director of Public Relations at State level and District Public Relations Officer at District Headquarters. The card will be issued under signatures of Director of Public Relations.

20. **Grant of provisional accreditation/recognition.**—If a correspondent/editor fulfils all the conditions enumerated in these rules for the grant of accreditation or recognition as the case may be, the Director of Public Relations may grant provisional accreditation/recognition to him/her till the meeting of the Press Accreditation Committee.

By order,
M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

[*Authoritative English Text of this Government Notification No. LSG. A*(4)16/74, *dated* 30-4-88 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th April, 1988

No. LSG-A(4)16/74.—Whereas a proposal for inclusion of certain areas within the limits of Notified Area Committee, Rajgarh, District Sirmaur specified in the schedule of this department notification of even number, dated 17-3-1987 which was published in the Extraordinary Rajpatra, Himachal Pradesh dated 1st June, 1987 for inviting objections/suggestions from the affected persons;

And whereas no objection/suggestion has been received within the specified period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to include the areas specified below in the schedule within the limits of Notified Area Committee, Rajgarh, District Sirmaur with immediate effect :—

SCHEDULE

List of villages with Khasra Nos. and total areas proposed to be included in Notified Area Committee, Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh

	Khasra No.
	745/1/1
	745/1/2
	745/1/2-3/1
	746/1/2
	746/1/1
	747/1/2-3
Village : SHALLANA :	2/2
Khasra No.	746/1/2/1
745/1/2-3	747/1/1

Khasra No.
2/1
3/1
3/2
3/3 to 4/3
667/4
668/4/2
668/4/1
669/4
670/4
5
6
7/1
7/2/1
7/2/2
8
37
38
39
40
675/79/1
675/79
676/79/1
677/79/1
679/79/2-3
679/79/1
679/79/2 to 4/1
679/79/3
679/79/4/1
829/700/79/2
830/700/79
827/700/79
828/700/79
831/780/79
823/780/79
833/741/701/79/1
834/741/701/79
835/741/700/79
836/741/701/79
837/750/702
838/750/79
839/750/79
840/750/702
700/79/2-3/5
700/79
700/79/2
700/79/2/1
700/79/1
700/79/3/2
751/742
752/742
702/79/2
702/79/1
748/702/79/2-3
833/741/701/79/1

Khasra No.
742/701/79/1
749/702/79/2-3
705/79/2-1
703/79/1
460/1
791/739/460
792/739/460
793/739/460
794/461
795/461
796/461
797/461
798/461
700/79/1/2
462
463
464
465
466
467
468
469
470
799/471
800/471
801/471
472
473
474
475/1
475/2
607
608
609
860/610
861/610
Total Kitas .. 100

Village : FATEHPUR SADHUR

790/228
889/229
890/229
891/229
892/229
893/229
674/230
675/230
676/230
284
285

Khasra No.
286
904/287
905/287
288
289
290
291
292
293
694/294
695/642/294
696/642/294
295
766/296
767/296
792/297
906/297
907/297
697/298
280
281
908/698
909/698
910/698
643/299
644/299
699/300
700/300
701/300
702/301
703/301
794/704/301
795/704/302
302
303
1040/651/304
1041/651/304
652/304
796/653/304
797/653/304
711/305
712/305
713/304
306/1
306/2
798/307
911/799/307
282
283
912/799/307
308
309
310
311

Khasra No.
312
714/313
715/313
716/313
717/314
718/314
315
719/316
1042/720/316
1043/720/316
705/317
801/706/317
913/800
914/800
707/318
915/802
916/802
803/708/318
907/319
710/319
647/320
648/320
321
635/322
636/322
323
324
721/325
722/325
804/723/325
805/723/325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
764/343
765/343
917/344
918/344
344/2
345

Khasra No.
346
347
645/348
646/348
348/2
348/3
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
742/373
743/373
374
375
376
377
637/378
638/378
379
380
381
382
383
384
385
386
919/387
920/387
388
731/389
806/733/389
921/810
1044/922/810

Khasra No.
923/810
924/810
925/810
926/810
927/810
928/810
929/810
930/810
931/810
932/810
933/810
1046/389
1047/934/810/389
937/733
807/733
808/733/389
809/733/389
724/390
810/733
725/390
391
649/392
727/650/392
728/650
935/729/392
1048/720/650/392
1049/392
1050/392
1051/392
1052/392
1053/392
1054/936/392
726/650/392
393
730/394
731/394
395
937/396
938/396
939/396
940/396
941/396
942/396
943/396
944/396
945/396
946/396
947/396
948/396
949/396
950/396
951/396
952/396

Khasra No
953/396
954/396
955/396
956/396
957/396
958/396
396/2
397
398
399
959/400
960/400
401
402
403
961/404
962/404
405
406
963/407
964/407
467
623/468
624/468

Total Kitta : 249

Village : RAJGARH

Patti : GADALA

653/385/96
654/395/96
730/655/96
731/655/96
383/96
384/96
386/97
468/97
469/387/97
98
470/99
471/99
472/99
473/99
584/474/99
585/474/99
586/474/99
587/474/99
656/588/99
657/588/99
732/475/99
733/475/99
734/475/99

Khasra No.
735/475/99
388/100
389/100
590/100
591/451/101
592/101
452/390/100
476/454/101
453/390/101
593/477/101
594/477/100
595/478/101
596/478/101
597/478/101
598/478/101
599/101
600/478/101
601/101
602/101
603/478/101
604/101
658/605/101
659/605/101
660/605/101
661/605/101
662/605/101
778/663/605
779/663/605
780/663/605
781/663/605
782/663/605
783/663/605
784/663/605
589/100
479/100
480/101
736/481/101
737/481/101
482/101
483/101
484/101
606/485/101
607/585/101
394/101
395/101
455/101
456/101
792/306/101/2
742/306/101
791/101/1
743/306/101
740/306/101
741/606/101/3
485/101

Khasra No.
738/486/101
739/486/101
487/101
488/101
744/102
745/102
746/102
747/102
748/102
749/102
750/103
751/103
397/104
664/398/104
665/398/104
666/398/1 4
667/398/104
668/398/104
669/398/104
752/670/395/104
753/670/104
754/670/104
755/105
756/105
757/106
758/106
671/107
672/107
759/673/107
760/673/107
608/489
609/489
610/489
611/489
612/489
613/489
614/489
615/489
616/489
617/489
618/489
619/489
620/489
621/489
622/489
623/489
674/489
675/489
676/489
677/108
678/108
679/108
680/108
681/439

Khasra No.
765/682/108
766/682/108
767/682/108
763/683/108
764/683/489
684/489
685/108
761/686/108
762/686/108
490/108
312/109
687/109
688/109
689/109
690/109
691/109
692/109
768/694/492/109
693/109
769/694/492/109
693/313/109
625/110
770/626/110
771/626/110
772/627/110
773/627/110
774/627/110
695/111
495/111
696/111
697/111
698/101
699/101
700/111
701/111
702/111
703/111
704/498/111
775/704/111
776/704/498/111
777/704/111
497/111
498/111
499/111
501/111
112
462/113
466/113
502/113
503/113
504/113
505/113
506/113
507/113

Khasra No.
705/113
114
115
468/116
469/116
116/2
117/1
117/2
508/118
509/118
464/119
510/119
511/119

Kitas..194

Patti : RAJGAGH

120
121
498/122
511/122
513/122
514/122
515/122
516/122
399/122
400/122
302/122
466/122/1
707/313/130
517/140
632/141
787/633/141
788/633/141
519/142
709/142
710/142
711/520/142
314/143
315/143
316/143
317/143
318/143
402/143
403/143
404/143
405/143
406/143
407/143
144
145
146
634/208

Khasra No.
635/208
413/358/209
414/209
415/209
359/209
360/209
361/209
362/209
363/209
364/209
365/209
210
211
213
714/214
715/214
716/214
367/214
636/368
337/368
338/368
785/639/368
786/639/368
640/368
641/368
215
523/216
524/216
525/216
217
526/218
717/218
718/527/218
719/527/218
545/218
528/219
529/219
530/220
531/220
417/220
532/220
533/220
534/220
535/220
537/220
538/220
539/220
540/220
221
541/222
720/222
721/542/222
543/222

Khasra No.	Khasra No.
547/223	303/236
548/223	304/236
224	569/237
309/225	570/237
310/225	298/337
369/226	644/238
549/378/226	789/645/238
550/226	790/645/238
551/226	239
371/226	240
372/226	307/241
373/226	242
722/226	243
723/226	244/2
724/226	244/1
725/226	245/1
726/226	245/2
727/552/226	246
553/226	571/247
555/227	572/247
728/227	573/247
729/227	428/248
557/228	429/248
558/228	430/248
229	575/431/248
230/1	574/248
230/2	576/248
231	577/432/248
560/232	249
561/232	250
422/233	266
423/233	646/267
424/233	647/267
425/233	
426/233	Total Kitas .. 166
562/233	
563/427/233	Grand Total of village Rajgarh:
564/234	Kita.. 360
642/568/235	
643/568	*Note* .—Number khasras shown above are
565/234	according to jamabandi for the year
567/235	1982-83.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that all rules, bye-laws, orders and directions which are in force in the N.A.C., Rajgarh, District Sirmaur at the time of inclusion of the areas specified in the Schedule above, shall also apply to such areas.

By order,
Sd/-
Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 मई, 1988

संख्या 11-6/67-गृह(ए)-भाग-II—मेनोवर फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्न अनुसूची में दिए गए क्षेत्र को समय-समय पर फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास प्राधिकृत करने के लिए 1 फरवरी, 1988 से 31 जनवरी, 1993 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सहर्ष अधिसूचित क्षेत्र के रूप में परिनिश्चित करते हैं :—

अनुसूची

ग्राम तथा एच0 बी0 नं0	तहसील तथा जिला	क्षेत्र		
		कनाल	मरला	एकड़
1. कलोह एच0बी0 नं0 145	ऊना	13861	16	1317
2. बड़ोह एच0 बी0 नं0 147	ऊना	16737	9	1594
3. पामरा एच0 बी0 नं0 146	ऊना	1761	7	168
4. ओईल एच0 बी0 नं0 143	ऊना	19117	11	1820
5. टटोहंडा एच0 बी0 नं0 160	ऊना	15324	19	1549

रेंज ग्राम कलोह, तहसील ऊना से प्रारम्भ होता है । उत्तरी सीमा दक्षिणी सीमा को जाते हुए खसरा नं0 2600' 2605, 2606, 2610, 2612, 2651, 2652, 2654, 2655, 2677, 2678, 2674, 2465, 2455, 2456 2457, 2440, 2423, 2422, 2419, 2420, 2352, 2371, 2370, 2369, 2385, 2194, 2193, 194, 1995, 1996, 2014, 1997, 2012, 2013, 2022, 2101, 2028, 2063, 2025, 2041, 2040, 2039, 2045, 2037, 1950 को काटती है पूर्व से दक्षिण-पूर्व सीमा खसरा नं0 2600 से प्रारम्भ हो कर नं0 2598, 2585, 2584, 1590, 1596, 1597, 4183, 1582, 1616, 4180/1576, 3981/1502, 1504, 1495, 1235, 1236, 1263, 1253, 1254, 1255, 1256, 1251, 1250, 1195, 1194, 1197, 1193, 674, 676, 613, 675, 627, 599, 592, 598, 401, 399, 377, 5237/337, 324, 4601/323, 314, 313, 315, 312, 311, 302, 303, 295, 265, 304, 1822, 104, 103, 4229/92, 92, 81, 50, 51, 80, 79, 77, 76, 73, 70, 71 तथा खसरा नं0 72 ग्राम बड़ोह से हो कर जाती है उत्तर से दक्षिण में यह खसरा नं0 2780, 2801, 2802, 2864, 2865, 2866, 2867, 2872, 2846, 2833, 2622, 2623, 2624,

10 14

12/1-12/2-13/1-13/2-14/1-14/2 5/1-5/2-7/1-7/2

2625, 2633, 2634, 2637, 2638, 2639, 2640 2640/1, 2640/2

14 45 45 45

1/1 3/2/-18-19/1 20/1-20/2 19/1-19/2

45 45 45

21/2-22/1 24/1 17/1-17/2

13 13 13 14

4/1-4/2 5/1-5/2-5/3 6/1-7/2 12/2

14 14 45

20/1-20/2 21-22 3/2

में हो कर जाती है । खेतीय एस्टेट ग्राम परमा में प्रवेश कर

रेंज लाईन उत्तर से दक्षिण को खसरा नं0 3237, 2863, 2815, 2860 तथा 2329 में से हो कर जाती है। ग्राम टटेहड़ा के क्षेत्र में यह लाईन उत्तर से दक्षिण से खसरा नं0 1182, 1197, 1141, 1128, 1463, 1470, 1040, 1039, 1038, 1037, 1036, 1741, 1033 से 1036, 1031, 1028, 1463, 1470, 1040, 1039, 1038, 1037, 1036, 1031, 1028, 1027, 822, 823, 820, 786, 757, 1599/755-56/754, 723, 244, 243, 239, 238, 237, 236, 232, 231, 3178/226 से 228, 216, 76, 75, 71, 1655/65, 66 से 70, 64, 1624/36-27, 1713, 12 और 11 तहसील ऊना में हो कर जाती है।

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 7 जून, 1988

संख्या पी0सी0एन0(एम0) आडिट-19/87-2665-2671.— यह कि श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भाम्बला, विकास खण्ड गोपालपुर की पंचायत में उनके कार्यालय में अनेक अनियमितताएं, सभा निधि के दुरुपयोग तथा सत्ता के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं ;

और यह कि इन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0सी0एन0(एम0)आडिट-19/87-401-4, दिनांक मण्डी 4-1-1988 के अन्तर्गत स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया था। इन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथ्यों पर आधारित नहीं और सभा निधि के दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग आदि जैसी अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसी स्थिति में श्री राजेन्द्र सिंह को प्रधान के पद पर बने रहने देना न्यायसंगत नहीं।

अतः मैं, ए0 आर0 वसु, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजेन्द्र, सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत भाम्बला को प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करता हूं।

मण्डी, 7 जून, 1988

संख्या पंच मण्डी-26-18/79-2643-49.— यह कि श्री परमदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत शिकावरी, विकास खण्ड सराज द्वारा मै0 मल्होत्रा ट्रेडर्ज मण्डी से ग्राम पंचायत शिकावरी के नाम मु0 रु0 3654.14 पैसे का फर्नीचर बिल नं0 277, दिनांक 28-10-1986 बिना पंचायत के परामर्श और निर्णय के प्राप्त करके व्यक्तिगत प्रयोग में लाया जा रहा है, जिससे पंचायत की प्रतिष्ठा को धब्बा लगा ;

और यह कि श्री परमदेव, प्रधान को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृष्ठांकन संख्या पंच मण्डी-26-18/79-1775, दिनांक 30 मार्च, 1986 को कारण बताओ नोटिस दिया था कि वह अपनी स्थिति 15 दिन के भीतर-भीतर स्पष्ट करें परन्तु उक्त प्रधान ने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही अभी तक मै0 मल्होत्रा ट्रेडर्ज मण्डी को बिल की अदायगी की। श्री परमदेव द्वारा किए गए कृत्य से पंचायत की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है और इन्हें इस पद पर बने रहना संस्था के हित में नहीं।

अतः मैं, ए0 आर0 बसु, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत श्री परमदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत शिकावरी, विकास खण्ड सराज को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं ।

ए0 आर0 बसु,
उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी

कार्यालय जिलाधीश, मण्डी, जिला मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 8 जून, 1988

संख्या पंच-मण्डी-ए (5) 1088-2673-76.—यह कि ग्राम पंचायत जड़ोल, विकास खण्ड सुन्दरनगर ने वर्ष 1986 में दिनांक 17-3-86 तक पशु मेला का आयोजन किया ;

और ग्राम पंचायत ने 2 प्रतिशत दर से मु0 रु0 1302·25 पैसे पशुओं की बिक्री फीस एकत्रित की और इस राशि को 30 दिसम्बर, 1986 को पंचायत रोकड़ में दर्ज किया इस प्रकार मु0 रुपये 1302·25 पैसे का प्रधान द्वारा 9 मास तक दुरुपयोग किया गया ;

इससे पूर्व कि कोई कार्यवाही व्यवहार में लाई जाए आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अपनी स्थिति 10 दिन के भीतर-भीतर स्पष्ट करें । अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप राशि के दुरुपयोग को स्वीकार करते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी मण्डल, मण्डी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।